



निर्माण स्थलों एवं कारखानों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की अनिवार्यता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

अक्तूबर 08th– 10th, 2026

भारत सरकार
श्रम एवम रोजगार मंत्रालय
कारखाना सलाह सेवा एवम श्रम संस्थान महानिदेशालय
केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में:

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों को चोटों, दुर्घटनाओं, और खतरनाक पदार्थों के संपर्क से बचाने के लिए काफी बढ़ गया है। हालांकि, PPE की सुरक्षा प्रदान करने की प्रभावशीलता केवल इसके उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके गुणवत्ता, चयन, उपयोग और कार्यस्थल में रखरखाव की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करना कि पीपीई को विशेष कार्यस्थल खतरों के आधार पर उचित रूप से चुना गया हो, प्रत्येक कर्मचारी के लिए ठीक से फिट किया गया हो और स्वच्छ और विश्वसनीय स्थिति में रखा गया हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपीई के सही उपयोग और सीमाओं पर नियमित प्रशिक्षण, साथ ही नियमित निरीक्षण और समय पर प्रतिस्थापनों से इसकी सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि होती है और यह एक सुरक्षित कार्य वातावरण में योगदान करता है।

कार्यक्रम की विभिन्न क्षमता मैपिंग:

कार्यात्मक क्षमताएँ

- कार्यस्थल पर ऐसे खतरों की पहचान करें जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उपयोग की आवश्यकता रखते हैं। (पीपीई)
- उचित PPE चयन निर्धारित करने के लिए जोखिम आकलन करें।
- नियंत्रण की श्रेणी को समझें, जिसमें PPE को इंजीनियरिंग और

प्रशासनिक नियंत्रणों के बाद अंतिम उपाय के रूप में emphasized किया गया है।

व्यवहारिक क्षमताएँ

- ✓ कर्मचारियों का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के चयन और मूल्यांकन में शामिल होना
- ✓ सही उपयोग के लिए शिक्षा, प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त करना और आराम सुनिश्चित करना
- ✓ क्रमनुसार PPE पहनना और निकालना

ज्ञानक्षेत्र / विशिष्ट क्षमताएँ

- चयन, उचित उपयोग आदि के लिए प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के संबंध में
- विभिन्न व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रकारों की सीमाओं को समझने का महत्व ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके।
- पीपीई की गुणवत्ता आश्वासन
- नियमित निरीक्षण प्रोटोकॉल

कोर्स की प्रमुख बातें:

प्रशिक्षण के बाद, प्रतिभागी समझने में सक्षम होगा,

- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की राष्ट्रीय नीति
- पीपीई के लिए कानूनी प्रावधान और भारतीय मानकों का अवलोकन
- पीपीई के लिए चयन मानदंड
- पीपीई का सही उपयोग
- पीपीई की देखभाल, रखरखाव और सीमाएं
- केस स्टडी, समूह अध्ययन आदि

प्रतिभागिता:

यह कार्यक्रम मुख्य रूप से साइट इंचार्ज, साइट प्रबंधन, साइट पर्यवेक्षकों, सुरक्षा पेशेवरों और औद्योगिक, निर्माण कार्यकर्ताओं से जुड़े इंजीनियरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्रों को बेहतर करियर संभावनाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

तारीख और समय:

06.10.2026 to 08.10.2026 (10.00 am to 05.00 pm)

स्थान:

केंद्रीय श्रम संस्थान, एन एस मंकीकर मार्ग, मुंबई – 400 022

प्रशासनिक विवरण:

संस्थान शुल्क @ 5000/- रुपये (रु न हजार केवल) प्रति प्रतिभागी भारतीय कोष पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से नामांकन की पुष्टि के बाद पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। संस्थान की फीस में कोई भी नाश्ता/हॉस्टल/रहने की व्यवस्था शामिल नहीं है।

भुगतान प्रक्रिया:

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए विवरण:

- ✓ कृपया <https://bharatkosh.gov.in> पर जाएं और फिर त्वरित भुगतान चुनें और नीचे दिए गए ड्रॉपडाउन मेनू से विवरण चुनें और ऑनलाइन भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
 - ✓ मंत्रालय: 021 श्रम एवं रोजगार
 - ✓ उद्देश्य: Training fee or Course fee of the workshop conducted
 - ✓ PAO कोड: 030263 - PAO (DGFASLI), मुंबई
 - ✓ डीडीओ कोड: 230265 प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई
 - ✓ टिप्पणी: "Inevitability of Personal protective equipment".
- फिर पोर्टल में पूछी गई संबंधित जानकारी दर्ज करें और इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जारी रखें।

आवास:

छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है।

नामांकन:

नामांकन 02.10.2026 या उससे पहले ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। कार्यक्रम में प्रवेश संस्थान से पुष्टि के अधीन है।

कार्यक्रम निदेशक:

डा रविन्द्र भावे, निदेशक (औ. स्वा. वि)

किसी भी जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करने में संकोच न करें:

धनश्री आचरेकर, उप निदेशक (औ. स्वा. वि.)

Contact: 9082038657, 9869238847

Website: <https://dgfasli.gov.in/>

E-mail: d.acharekar@dgfasli.nic.in & nrtl.rtl@dgfasli.nic.in



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय

केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई

“निर्माण स्थलों एवं कारखानों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPE) की अनिवार्यता

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

अक्तूबर 08th– 10th, 2026

नामांकन/पंजीकरण फॉर्म

प्रतिभागी का नाम _____

लिंग: _____

योग्यता/पद _____

वर्ग (SC/ST/OBC/GEN/NER) _____

फोन नंबर _____

ई-मेल _____

अनुभव वर्ष में _____

कंपनी का नाम (पीएसयू / प्राइवेट) और स्थान _____

संपर्क व्यक्ति का नाम _____

फोन नंबर के साथ

शुल्क विवरण (भारतकोश Transaction संदर्भ नंबर) _____

स्थान: _____

दिनांक : _____

(प्रतिभागी के हस्ताक्षर)

इस नामांकन/पंजीकरण फॉर्म को ई-मेल करें: d.acharekar@dglasli.nic.in and nrtl.rtl@dglasli.nic.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OCCUPATIONAL SAFETY &
HEALTH
CENTRAL LABOUR INSTITUTE
MUMBAI

Training Programme
On
**Inevitability of Personal protective equipment
at Construction site and Industries**

06 to 08 Oct , 2026

(ISO 9001:2015 certified Institute)

About the Course/Training Programme:

The utilization of Personal Protective Equipment (PPE) has significantly increased across various industries to safeguard workers from injuries, accidents, and exposure to hazardous substances. However, the effectiveness of PPE in providing protection is not solely dependent on its availability but also on the quality of the equipment and the efficacy of its selection, usage, and maintenance in the workplace.

Ensuring that PPE is appropriately selected based on specific workplace hazards, properly fitted to each employee, and maintained in a clean and reliable condition is crucial. Regular training on the correct use and limitations of PPE, along with routine inspections and timely replacements, enhances its protective capabilities and contributes to a safer working environment.

Competency Mapping of the Programme:

Functional Competencies

- Identify workplace hazards that necessitate PPE usage
- Conduct risk assessments to determine appropriate PPE selection.
- Understand the hierarchy of controls, emphasizing PPE as a last resort after engineering and administrative controls.

Behavioural Competencies

- ✓ Involvement of employees in the selection and evaluation of PPE
- ✓ Educate for proper use, fit to maximise effectiveness to ensure comfort
- ✓ Donning and doffing of PPE

Domain Competencies

- ✓ Training for selection, proper use, etc. in respect of PPE
- ✓ The importance of understanding the limitations of various PPE types to prevent misuse.
- ✓ Quality assurance of PPE
- ✓ Routine inspection protocol

Course Highlights:

After the training, the participant will be able to understand,

- National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace
- Statutory provision for PPE
- Overview of Indian standards of PPE
- Selection criteria for PPE
- Proper use of PPE
- Care, Maintenance and limitations of PPE
- Case study, Group exercises etc.

Participation:

This programme is primarily designed for Site In-charge, Site Management, Site Supervisors, Safety Professionals and Engineers connected with industrial, construction workers. Undergraduate and Post Graduate Engineering Students may also apply for better career prospect.

Date and Time:

06.10.2026 to 08.10.2026 (10.00 am to 05.00 pm)

Venue:

Central Labour Institute, N S Mankar Marg, Mumbai – 400 022

Administrative Details:

Institution fee @ Rs 5000/- (Rs Five thousand only) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>)

may be deposited online by using the following steps after nomination is confirmed by the Course Coordinator.

Institution fee does not include any refreshments /boarding/ lodging.

Payment procedures:

Details for making online payment:

- ✓ Please visit <https://bharatkosh.gov.in> and then select Quick Payment and select the details from the dropdown menu as mentioned below and proceed for online payment,
- ✓ Ministry: 021 Labour & Employment
- ✓ Purpose: Training fee or Course fee of the workshop conducted
- ✓ PAO Code: 030263 - PAO (DGFASLI), Mumbai
- ✓ DDO Code: 230265 ADMINISTRATIVE OFFICER, CENTRAL LABOUR INSTITUTE, MUMBAI
- ✓ **Remarks:** "Inevitability of Personal protective equipment".
- ✓ Then proceed to enter relevant details as asked in the portal and continue for online payment through Internet banking/Debit Card/Credit Card/UPI.

Accommodation:

Hostel facility not available

Nomination:

Nomination may be sent by email **on or before 02 Oct, 2026.**

Admission to the programme is subject to confirmation from the Institute.

Program Director:

Dr R P Bhawe, Director (Industrial Hygiene)

Program Coordinator:

Dhanashree Acharekar, Dy Director (Ind. Hygiene)

Website: <https://dgfasli.gov.in/>

Mob: 9082038657 / 9869238847

E-mail: d.acharekar@dgfasli.nic.in , nrtl.rtl@dgfasli.nic.in



Government of India
Ministry of Labour and Employment
DIRECTORATE GENERAL OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH
Central labour Institute, Mumbai

Three Days Offline Training Programme on
Inevitability of Personal protective equipment at Construction site and Industries
(06 to 08 Oct , 2026)

NOMINATION/REGISTRATION FORM

Name of participant (In English & Hindi Both) _____

Gender: _____

Qualification/Designation _____

Category (SC/ST/OBC/GEN/NER) _____

Phone No _____

E-mail address _____

Experience in years _____

Company Name (PSU / Pvt.) and Location [In English & Hindi Both] _____

Name of contact person _____

with phone no. _____

Requirement of hostel (Yes/No) _____

Fees detail (Bharatkosh Transaction Reference Number) _____

Place: _____

Date: _____

(Signature of Participant)

E-mail this Nomination/Registration Form to: d.acharekar@dglasli.nic.in and nrtl.rtl@dglasli.nic.in